संख्या 223 /2025/644/41 1 2025 001 CN 1889552-2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 12 मार्च, 2025

विषयः मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजनान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम में स्थित श्री रामचन्द्र पालीवाल ऑडिरोरियम का जीर्णोद्धार एवं आपूर्ति/अधिष्ठापन का कार्य की अवशेष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं० 122758/मु०प०स०यो०/सीएन 87913/2024, दिनांक 03 मार्च, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत परियोजना हेतु सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के मद संख्या-08-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन ति० को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए पर्यटन अनुभाग-1. उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-225/2024/478/41-1-2024-001-CN-1789552-2024, दिनांक 29 फरवरी, 2024 द्वारा धनराशि रू० 302.47 लाख (जी०एस०टी० सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (50 प्रतिशत की धनराशि रु० 151.235 लाख पर्यटन विभाग द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 151.235 लाख नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा) एवं राज्य सरकार पर भारित धनराशि रू० 151.235 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में रू0 35.00 लाख इस शर्त के साथ अवमुक्त की गयी थी कि सहभागिता योजनान्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में रू0 35.00 लाख की धनराशि नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा भी साथ ही देय होगी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजनान्तर्गत जनपद-फिरोजाबाद के नगर निगम में स्थित श्री रामचन्द्र पालीवाल ऑडिरोरियम का जीर्णोद्धार एवं आपूर्ति/अधिष्ठापन का कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू० 70.00 लाख (रू० सत्तर लाख मात्र) को इस शर्त के साथ अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि द्वितीय किश्त के रूप में रू0 70.00 लाख की धनराशि नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा साथ ही में देय होगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 29 फरवरी, 2024 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी 1-294/दस-2024-231/2024, 2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि जिस कार्यपद हेतु प्रदान की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यपद हेतु किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम सार से अनुमोदित जी०एस०टी० भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था पयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य की गुणवक्षा एवं फोटोप्रापस प्रतिहस्ताक्षरित कराये हुये (तिषि साहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कसपा जायेगा।

(11) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(12) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्चित लाइटो/उपकरणों का क्रय उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार कप किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई०आर०) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5 - इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 70,00,000 (रुपये सत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय शाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5.नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
7. निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA), लखनऊ।
7
8. निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, आगरा।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।